केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी कार्यालय/कार्यपालन यंत्री तथा प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों के साथ दिनांक 18/12/2023 को आयोजित मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मासिक वीडियो कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक प्रबंध संचालक सह आयुक्त श्री श्रीमन् शुक्ला की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2023 को सायं 04:30 बजे मंत्रालय स्थित एन.आई.सी. कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी कार्यालयों से कार्यपालन यंत्री तथा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों से सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नवत् बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

1.मासिक आवक की समीक्षा (नियमन):-

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों की माह अप्रैल 2023 से नवम्बर 2023 तक आवक की समीक्षा की गई। माह नवम्बर 2022 की तुलना में माह नवम्बर 2023 में कुल आवक 16.40 प्रतिशत कम रही। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, संभाग की आवक माह नवम्बर 2022 की तुलना में अत्यधिक कम रही। कृषि उपज मंडी पिपरिया, इटारसी, औबेदुल्लागंज,रायसेन, बकतरा , पंधाना, कसरावद, मंदसौर, शुजालपुर, पिपल्या, लोहार्दा, मनासा, हाटपिपल्या, मालथौन, जैसीनगर, शहपुरा भिटोनी, छिंदवाड़ा, गाडरवारा, मंडला, सिंगरौली, सीधी, रीवा की प्रगामी आवक (अप्रैल- नवम्बर 2022) की तुलना में अत्यधिक कम रही, मंडियो में आवक की कमी पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा आवक में 10 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक कमी वाली मंडियों की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश संभागीय संयुक्त संचालकों को दिये गये।

2. निरीक्षण दल की कार्यवाही:-

आंचलिक कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा माह नवम्बर 2023 में कुल 40 वाहन/प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल मात्रा 8667.86 क्विंटल पकडी गयी तथा राशि रू. 13,66,624/- वसूल की गयी। इसी प्रकार मंडी समितियों द्वारा 259 वाहन/प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल मात्रा 17287.33 क्विंटल पकडी गयी तथा राशि रू. 22,12,427/- वसूल की गयी। मंडी समितियों को निरीक्षण की कार्यवाही बढाने के निर्देश दिये गये।

3.निर्यात

शासन की प्राथमिकता में निर्यात को रखा गया है, निर्यात को 5 साल में 2 गुना करने का लक्ष्य है। व्यापारियों के पंजीयन बढाने तथा भोपाल, इंदौर उज्जैन बडे संभागों को निर्यात पर बेहतर कार्य करने के साथ ही जैविक उत्पाद एवं एक जिला एक उत्पाद (ODOP) हेतु शैड आरक्षित करने के निर्देश भी दिये गये।

4.विधि

न्यायालयीन अवमानना प्रकरणों की समीक्षा की गई कुल 36 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत हुये है तथा 27 प्रकरण जवाबदावा हेतु शेष है। अवमानना प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। पत्र क्रमांक 1410 दिनांक 25.08.2023 से जिन अवमानना प्रकरणों में मंडी बोर्ड पार्टी नहीं है लेकिन न्यायालय में रजिस्टर्ड है, उन पर भी संज्ञान लिया जाए।

5.राष्ट्रीय कृषि बाजार शाखा:-

मुख्यालय के पत्र क्रमांक 125-126 दिनांक 29.09.2023 तथा पत्र क्रमांक 127-128 दिनांक 20.09.2023 एवं मंडी बोर्ड मुख्यालय के परिपत्र क्र./बोर्ड/रा.कृ.बा./ई-04/पार्ट-03/2023-24/159-160 दिनांक 06.12.2023 द्वारा 03 उप मंडियों (बागोद, बाकानेर एवं सिंघाना) के स्थान पर 03 नवीन मंडियों (सैलाना, मनावर एवं नरसिंहपुर) में ई-नाम योजना हेतु अनुदान राशि एवं पूर्व में क्रय किये गये कम्प्यूटर उपकरण आदि प्रेषित किये जाकर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गय थे, जिस पर कार्यवाही नहीं होने के कारण। उपमंडी बाकानेर (मूल मंडी मनावर) की सामग्री तथा अनुदान राशि नरसिंहपुर मंडी की ओर तथा उपमंडी बागोद (मूल मंडी बडवाह) की सामग्री एवं अनुदान राशि सैलाना मंडी की ओर प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही ई-नाम पोर्टल पर ई-पेमेंट, ई-ट्रेड की प्रगति, यूनिफाइड लाइसेंस शून्य नहीं रहें एवं ई-नेम योजना अंतर्गत एफपीओ ट्रेड को बढाये जाने के निर्देश भी दिये गये।

6.शिकायत एवं विभागीय जांच शाखा

शिकायतों के निराकरण के संबंध में जिनमें समय-सीमा में प्रतिवेदन चाहा गया है, उनका प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराएं। 140 शिकायतों की सूची संयुक्त संचालक जबलपुर को भेजी गयी है अगली समीक्षा बैठक से पहले निराकृत करने के निर्देश दिये गये, साथ ही कई आश्वासनों की जानकारी भी शिकायतो से संबंधित है, उन्हे समय पर निराकृत करें। विभागीय जांच में सभी जांचकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच का प्रतिवेदन मय निष्कर्ष मंडी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विभागीय जांच की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में संपन्न कर लेना चाहिए अन्यथा जांच अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है।

7.परिवीक्षा तथा पेंशन प्रकरण:-

परीवीक्षा अवधि के प्रकरणों की समीक्षा की गई जिसमें लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत करने तथा परीवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु अंकसूची सत्यापन, चरित्र सत्यापान की कार्यवाही पूर्ण करने की कार्यवाही की जावे। पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई जिसमें ग्वालियर संभाग के 10 प्रकरणों में से 08 प्रकरण ईओडब्ल्यू और विभागीय जांच प्रचलित है, जबलपुर में 09 प्रकरणों मे से 02 में न्यायालयीन प्रकरण 04 मंडी स्तर पर लंबित है तथा 02 लोकल फंड में है। आंचलिक कार्यालय स्तर एक अभियान चलाकर परिवीक्षा अवधि, अनुकंपा नियुक्ति तथा पेंशन प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिये गये।

08 बोर्ड शुल्क तथा विपणन विकास निधि:-

भोपाल संभाग में भोपाल तथा नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग में लश्कर, मुंगावली, श्योपुर एवं जबलपुर संभाग में शहपुरा (भिटौनी), सौंसर तथा उज्जैन संभाग में खातेगांव मंडी से बोर्ड शुल्क की राशि नहीं भेजी गई है। जिन मंडी समिति से उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई वे अगले सप्ताह से राशि भेजना सुनिश्चित करें।मंडी समितियों को बोर्ड शुल्क की राशि तथा राज्य विपणन विकास निधि की राशि समय पर भेजने के निर्देश दिये गये।

09.रिक्त भूखंड तथा अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही:-

मंडी प्रांगण के अंदर खाली शेडों में अतिक्रमण की स्थिति निर्मित न हो, शेंड्रीशॉप की नीलामी आदि में कुछ शिकायत मिल रही है, नीलामी की प्रक्रिया उचित तरीके से पूरी हो एवं अखबारों में प्रकाशन पर ध्यान दिया जाए। इस संबंध में सार्थक और ठोस प्रयास कर भूमि संरचना आवंटन नियम के अनुसार कार्यवाही करें। नामांतरण के संबंध में एक अभियान चलाकर मंडी समिति की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावें। सभी संभागीय संयुक्त संचालक समीक्षा करें कि जहां भी मंडी नोटिफाई है, वह जमीन राजस्व रिकार्ड में मंडी के नाम दर्ज हो, नामांतरण के लंबित प्रकरण के संबंध में आर.सी.एम.एस पोर्टल पर आवेदन करें। आगामी समीक्षा बैठकों में निराकृत/लंबित प्रकरणों, हटाये गये अतिक्रमणों की जानकारी तुलनात्मक चार्ट में प्रस्तुत करें।राजस्व प्रकरणों से संबंधित विषयों पर मंडी समितियों में पदस्थ भारसाधक अधिकारी(अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इत्यादि) से समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों को निराकृत करावें।

10.निर्माण

मंडी प्रांगण के अंदर जितने भी गो-डॉउन/स्ट्रक्चर आदि है उनमें किसी भी तरह के रखरखाव की आवश्यकता है तो तत्काल उसका Estimate बनाकर मरम्मत का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें। यूएनडीपी से 05 मेOटन के 02-02 सोलर कोल्ड स्टोरेज स्थापित कराने के निर्देश दिये गये थे जिसके Installation के संबंध में आज दिनांक पालन

प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, सीहोर, ईछावर, बैतूल और सागर मंडी से इस संबंध में पालन प्रतिवेदन अपेक्षित है।

11.ई-मंडी:-

ई-मंडी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषकों को प्रवेश पर्ची, अनुबंध पर्ची तथा तौल पर्ची दिया जाना आवश्यक है। पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से पर्ची जारी की जाना है, इसी के संदर्भ में एन.आई.सी. भोपाल द्वारा टैस्टिंग की कार्यवाही की जाकर पीओएस (POS) मशीन का उपयोग उपयुक्त पाया गया है।

ई-मंडी एप के क्रियान्वयन हेतु 08 पायलेट मंडियों (भोपाल, इंदौर, देवास, सागर, गुना, सतना, जबलपुर, हरदा) द्वारा पीओएस (POS) मशीन क्रय कर ली गई है। ई-मंडी एप को AppStore पर होस्ट करने के लिए VAPT सर्टिफिकेशन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गई है।

अतः आठों पायलेट मंडियों में ई-मंडी योजना को शत प्रतिशत प्रवर्त किया जाकर पीओएस मशीन से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

12. ई-अनुज्ञा पोर्टल:-

ई-अनुज्ञा पोर्टल में 774 व्यापारियों को मंडी से deactivate किया जाना बताया गया है, संभागीय संयुक्त संचालक संबंधित मंडियों की समीक्षा करें कि व्यापारियों को deactivate क्यों कर रखा है? अगर कोई गंभीर कारण है तो मंडीवार प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। ई-अनुज्ञा पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा भुगतान पत्रक जारी किये जा रहे है मंडी उसकी प्रविष्टि करती है और एक्सेल शीट के माध्यम से अपलोड करती है, सिस्टम के ऊपर संबंधित मंडी सचिव उक्त कार्य ध्यान से देखें एवं अपलोड की गई जानकारी को क्रास चैक करें ताकि सही एवं वास्तविक जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहे। भुगतान पत्रक में कोई भी त्रुटि हो तो तत्काल उसका समाधान संबंधित मंडी सचिव करावें।

भारत सरकार के एगमार्केनेट पोर्टल पर मंडी समितियों द्वारा प्रतिवेदित की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी का मिलान ई-अनुज्ञा एपीआई इंटीग्रेशन थ्रू मोबाईल एप की जानकारी से किये जाने पर भिन्नता निर्मित है, कृपया भारत सरकार के एगमार्केनेट पोर्टल पर मंडी की जिन्सवार दैनिक आवक एवं भाव की सही एवं वास्तविक जानकारी की डाटा रिपोर्टिंग की जावे।

स्वॉन कनेक्टिविटी वाली मंडियों के लंबित देयकों का भुगतान म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन को सत्यापन उपरांत किए जाने के निर्देश दिए गए।

❖ <u>महत्वपूर्ण निर्देश:-</u>

- समीक्षा बैठक प्रारंभ होने से पूर्व यह पाया गया कि वीडियों कान्फ्रेंस समीक्षा बैठक का निर्धारित समय सायं 04:30 बजे होने के पश्चात भी संभागीय/आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री व जिलो के अंतर्गत आने वाली मंडियों के संबंधित मंडी सचिव/प्रभारी सचिव बैठक में विलम्ब से उपस्थित हुए, यह गंभीर लापरवाही है। बैठक के लिये एनआईसी से मात्र डेढ घन्टे का समय व्ही.सी. के लिये स्लॉट में आवंटित होता है। समयभाव में जिम्मेदार अधिकारीयों से निर्धारित एजेण्डा अनुसार समीक्षा की जाना संभव नहीं हो पाता है। सभी संभागीय/आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री व जिलो के अंतर्गत आने वाली मंडियों के संबंधित मंडी सचिव/प्रभारी सचिव नियत समय पर समीक्षा बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें साथ ही अपने अधीनस्थ जिलों के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
- विभिन्न मंडी समितियों में आवक में कमी परिलक्षित हुई हैं, सभी संभागीय संयुक्त संचालक आवक की कमी की समीक्षा करें एवं रिपोर्ट उपलब्ध करावें। यह ध्यान रखा जावे कि कार्य में प्रगति हो। दूरभाष एवं व्हाट्सएप पर आपसी संचार बनाए रखें, मंडी समिति/मंडी बोर्ड के कार्यालयीन व्हाट्सएप ग्रुप पर शासकीय कार्य से संबंधित एवं आवश्यक जानकारी ही साझा करें। मंडी सचिव संयुक्त संचालकों से चर्चा करें एवं कोई समस्या हैं तो सीधे प्रबंध संचालक को भी अवगत करायें। आगामी वीडियों कांफ्रेंसिंग समीक्षा बैठक तक प्रगति आवेगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है।
- आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालकों के साथ मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल के अपर संचालक(नियमन/स्थापना/एमआईएस/वित्त इत्यादि) महत्वपूर्ण विषयों पर वर्चुअल बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण विषयों पर पृथक से समीक्षा करें।

<u>धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।</u>

22/12/23
(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/वी.कां./दिसंबर/2023/1923 भोपाल, दिनांक: 26.12.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

2 अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल मुख्यालय भोपाल।

3 अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

4 कार्यपालन यंत्री/संयुक्त/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

5 संयुक्त/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)।

6 कार्यपालन यंत्री (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग(समस्त)।

7 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.............. (समस्त)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल